न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 61 / 2020 **दायर दिनांकः 18.03.2020**

उनवान

1. चन्दालाल आयु 68 वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. भीमराज आयु 45 वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा
2. भवानीशंकर आयु 60 वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा
3. सुशीलाबाई आयु 58 वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा
4. रूकमणीबाई आयु 55 वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा
5. निर्मलाबाई आयु 53 वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा
6. पवन आयु 48 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर (मृतक) पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 'ए' आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री ओमप्रकाश नागर।

प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाकः 25 / 05 / 2022

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल रतनपुरा पटवार हल्का खेडलीगंज तहसील अटरू की खाता संख्या 102 के ख0नं0 892 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 927 रकबा 0.10 है0 किता 2 रकबा 0.18 है0 आराजी वादी के नानाजी धूलीलाल पुत्र गोरधन जाति धाकड निवासी अटरू के खाते दर्ज चली आ रही है। धूलीलाल पुत्र गोरधन जाति धाकड निवासी अटरू वादी के नानाजी थे जिनके एक मात्र पुत्री भरोसीबाई थी जो वादी की मां थी। वादी के नानाजी एवं मा का स्वर्गवास हो गया है। जिनके एक

मात्र वारिस वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ल 5 व प्रतिवादी क्रम 6 के पिता है। इनके अलावा कोई अन्य वारिस नहीं है। वादी के नानाजी एवं नानीजी कवरीबाई पत्नि ओकारलाल सगे भाई बहन थे जो संयुक्त परिवार में अटरू में निवास करते थे जिन्होने वादी को अपने जीवनकाल में बचपन से ही गोद रख लिया जिन्होने ही वादी का पालन पोषण किया था तथा नानीजी कवरीबाई एवं नानाजी धूलीलाल ने अपनी आराजीयात व मकान को वादी के नाम करवा दिया गया था । लेकिन विवादित आराजी अन्य खाते एवं ग्राम में होने के कारण एवं जानकारी के अभाव में वादी के खाते दर्ज करवाने से रह गई थी। जबकि उनके खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी उनके स्वर्गवास के बाद आज तक वादी ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वाद पत्र के साथ राजस्व रिकार्ड एवं प्रमाण पत्र संलग्न है। जो काबिल गौर है। वादी को नानाजी ने अपने भाई धूलीलाल की सहमति से गोद रख लिया था तभी से वादी उनके स्वर्गवास के बाद कब्जा करता चला रहा है। तथा प्रतिवादी क्रम 1 ल 6 के गावं हानीहेडा में वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता के खाते की आराजी में आयी हिस्से की आराजी एवं सम्पत्ति का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिसमें वादी का कोई हिस्सा नहीं रहा है। वादी नानाजी धूलीलाल के खाते की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को अपने खाते राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसको बिना सहायता न्यायालय के नहीं करवाया जा सकता है। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी क्रम 7 भूमिधारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिसको धारा 80 सी0पी0सी0 का 2 माह का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर दिया है। लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना अवधि समाप्त हुये बिना ही धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है। वाद कारण वादी द्वारा कई बार मौखिक निवेदन व रजिस्टर्ड नोटिस के बावजूद भी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को वादी के खाते दर्ज नहीं करने एवं अन्तिम बार दिनांक 12.03.2020 को मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्यायशुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्यायशुल्क पर पेश है। वाद पत्र की द्वितीय प्रति पत्र के साथ संलग्न हैं। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे कि–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 7 को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 11 स्वीकार है। अनुतोष वादी स्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजी वादी के खाते दर्ज करने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादी को खातेदार कृषक घोषित करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 7 को प्रदान किया जावे। प्रतिवादी क्रम 7 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत PW1 चन्दालाल नागर पुत्र रामलाल जाति धाकड़ निवासी अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी चन्दालाल द्वारा अपने शपथ ब्यानों में कथन किया है कि ग्राम रतनपुरा तहसील अटरू में खाता संख्या 102 की ख0नं0 892 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 927 रकबा 0.10 है0 कुल रकबा 0.18 है0 आराजी मेरे नानाजी धूलीलाल पुत्र गोरधन जाति धाकड निवासी अटरू के खाते दर्ज है। नानाजी का स्वर्गवास हो चुका जिनके मात्र एक पुत्री मेरी मां भरोसी बाई थी जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिस मैं व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 है। मेरे नाना जी व नानीजी कंवरीबाई पत्नि ओकार लाल सगे भाई बहिन थे। जो संयुक्त परिवार में रहते थे। जिन्होने मुझे गोद रखा था। जिन्होने अपने जीवन काल में अपनी आराजी व मकान मेरे नाम करवा दिये थे जिस पर आज भी मेरा नाम खाते दर्ज है। जानकारी के अभाव में उक्त आराजी अलग गांव में होने के कारण मेरे नाम दर्ज होने से रह

गयी थी जबकि कब्जा एवं स्वामित्व मेरा चला आ रहा है। अतः उक्त आराजी को मे अपने नाम दर्ज करवाने का मैं अधिकारी हूॅ।

4. अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया। ग्राम रतनपुरा की जमाबन्दी संवत 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खाता संख्या 102 के ख0नं0 892 व 927 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है0 भूमि धूलीलाल पुत्र गोरधन जाति धाकड़ के खाते दर्ज है (प्रदर्श–1) । खातेदार धूलीलाल धाकड़ की मृत्यु दिनांक 26. 12.1976 में हो चुकी है। (मृत्युप्रमाण पत्र दिनांक 20.07.2011 संलग्न है।) वादी द्वारा पेश ग्राम पंचायत बरलां के कानूनी वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 23.05.2022, रूपये 50 के स्टाम्प पेपर पर पेश वारिसान शपथ पत्र तथा pw1 के शपथ पूर्वक ब्यानों के आधार पर मृतक खातेदार धूलीलाल की एकमात्र वारिस माता भरोसी बाई थी। भरोसीबाई पुत्री धूलीलाल धाकड के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण है। भरोसीबाई पुत्री धूलीलाल पत्नी रामलाल जाति धाकड़ का ग्राम पंचायत बरलां द्वारा कानूनी वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 08.03.2018 संलग्न है। अतः मृतक खातेदार धूलीलाल पुत्र गोरधन धाकड के खाते दर्ज उक्त आराजी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार मृतक भरोसीबाई पुत्री धूलीलाल के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण के खाते दर्ज होगी। प्रतिवादीगण द्वारा पेश इकबाली जवाब दावा दिनांक 17.02.2021 के अनुसार उक्त आराजी को वादी के खाते दर्ज करने से प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

5. उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल रतनपुरा पटवार हल्का खेडलीगंज तहसील अटरू की खाता संख्या 102 के ख0नं0 892 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 927 रकबा 0.10 है0 किता 2 रकबा 0.18 है0 भूमि पर वादी चन्दालाल पुत्र रामलाल जाति धाकड़ को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 61/2020

उनवान

1. चन्दालाल आयु 68 वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. भीमराज आयु 45 वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा
2. भवानीशंकर आयु 60 वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा
3. सुशीलाबाई आयु 58 वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा
4. रूकमणीबाई आयु 55 वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा
5. निर्मलाबाई आयु 53 वर्ष पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा
6. पवन आयु 48 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर (मृतक) पुत्र रामलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां
7. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 'ए' आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री ओमप्रकाश नागर।

प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल रतनपुरा पटवार हल्का खेडलीगंज तहसील अटरू की खाता संख्या 102 के ख0नं0 892 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 927 रकबा 0.10 है0 किता 2 रकबा 0.18 है0 भूमि पर वादी चन्दालाल पुत्र रामलाल जाति धाकड़ को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25.05.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)